न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– पीयुष समारिया,आई.ए.एस.,जिला कलक्टर नागौर

रसद मामला संख्या– 86/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021/133

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्योलय, नागौर		1–भंवरलाल पुत्र सुरताराम जाति जाट निवासी लालजी की डूंगरी तहसील सांचोर जिला जालौर। 2–नथमल पुत्र गणपतराम सेवग निवासी सेवगों का मौहल्ला कुचेरा, हाल निवासी जे–5, गायत्री कॉलोनी, कमल नयन ज्वैलर्स के सामने, गणेशपुरा, जोधपुर। मो0–9829103998 3–लखुभाई पुत्र गोविन्द भाई बिरदा, अहीर निवासी प्लॉट नं.21 गुरूकृपा नगर पालघर झील के पास, गांधीधाम कच्छ, गुजरात–पीन कोड–370201 4–श्रीराम एग्रो कुचेरा जरिये प्रोपराईटर बाबुलाल प्रजापत पुत्र गुमानराम जाति प्रजापत निवासी कुचेरा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।
2. अप्रार्थी 2 व 3 की ओर से वकील श्री विकम जोशी, अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री रामनरेश।

निर्णय **दिनांक – 13/07/2023**

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तसुदा ऑयल टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड.5281 मय 22500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, ट्रैक्टर मैसी फरग्यूसन 1035 डी.आई. वाहन संख्या अंकित नहीं है मय पीछे लगे टैंकर मय 4000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिक के 20 रिक्त ड्रम, लोहे के 13 ड्रम मय 2600 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (कुल 29100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ), लोहे के 119 रिक्त ड्रम, 03विद्युत मोटर पम्प जिनमें प्रत्येक के दो सिरों पर 2 इंच मोटाई के 50–50 फिट लम्बाई के प्लास्टिक पाईप मय नोजल, 1 मेनुअल पम्प जिसके एक सिरे पर 50 फिट लम्बाई व 1 इंच मोटाई का पाईप लगा हुआ, 01 दस लीटर क्षमता का लोहे का मापक एवं 1 प्लास्टिक का सफेद रंग का कीप को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक(अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थी पक्षकार संयोजित करने हेतु दिनांक 18.05.22 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन जीजे 21 एजेड 5281 एवं कुल 29100 लीटर पट्रोलियम पदार्थ जब्ती के समय उक्त वाहन के मालिक एवं जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ के मालिक की जानकारी नहीं हो सकी जिस कारण इन्हे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया जा सका। उक्त जब्तशुदा वाहन को जमानतनामा एवं सपुर्दगीनामा पर छोडने हेतु श्री लखुभाई पुत्र श्री गोविन्द भाई बिरदा अहीर निवासी प्लॉट नम्बर 21 गुरू कृपा नगर पाल घर झील के पास, गांधी धाम, कच्छ गुजरात पीन कोड–370201 द्वारा धारा 457 सीआरपीसी के तहत न्यायालय हाजा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जो फौजदारी प्रार्थना पत्र संख्या–46/2021 लखुभाई बनाम सरकार है। उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदाथ को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर छोड़ने हेतु श्री राम एग्रो कुचेरा जरिये

कलक्टर नागौर

प्रोपराईटर श्री बाबुलाल प्रजापत पुत्र श्री गुमानराम जाति प्रजापत निवासी कुचेरा जिला नागौर द्वारा द्वारा धारा 457 सीआरपीसी के तहत न्यायालय हाजा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके फौजदारी प्रार्थना पत्र संख्या–07/2022 श्रीराम एग्रो कुचेरा बनाम सरकार होने का कथन करते हुए उक्त श्री लखुभाई जब्तशुदा वाहन के मालिक तथा श्री राम एग्रो कुचेरा जरिये प्रोपराईटर श्री बाबुलाल प्रजापत उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के मालिक को हस्तगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थी के रूप में पक्षकार सयोंजित करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया जिस पर प्रकरण में आदेशिका दिनांक 18.05.2022 अनुसार उक्त श्री लखुभाई को अप्रार्थी संख्या–3 एवं उक्त श्री राम एग्रो कुचेरा जरिये प्रोपराईटर श्री बाबुलाल को अप्रार्थी संख्या–4 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया एवं जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 भंवरलाल के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 08.07.2022 .को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

1(1)—हस्तगत प्रकरण में आदेशिका दिनांक 25.07.2022 अनुसार उक्त टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड.5281 S.B. Criminal Revision Petition No.324/2022 लखुभाई पुत्र गोविन्द भाई विरदा बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20. 04.2022 की पालना में वाहन टैंकर पंजीयन संख्या जी.जे. 12 एजेड 5281 को पांच लाख रूपये की बैंक गारन्टी व सुपुर्दगी पर छोड़े जाने का आदेश पारित किया जाकर आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई गई। तत्पश्चात हस्तगत प्रकरण की आदेशिका दिनांक 19.03.2023 के अनुसार तथ्य इस प्रकार है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 20.04.2022 के संबंध में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा माननीय राजस्थान न्यायालय में रिकॉल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो एस.बी.क्रिमीनल मिस.एप्लीकेशन संख्या 263/2022 दर्ज किया गया, उक्त आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 25.07.2022 की पालना में उक्त वाहन टेंकर हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–3 श्री लखुभाई को सुपुर्द नहीं किया गया। तत्श्चात माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.क्रिमीनल मिस.एप्लीकेशन संख्या 263/2022 प्रकरण में दिनांक 27.08.2022 को यह आदेश पारित किया कि "**Meanwhile, status-quo regarding the vehicle-Tanker exists as on today shall be maintained.** इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.क्रिमीनल मिस.एप्लीकेशन संख्या 263/2022 प्रकरण में दिनांक 06.06.2023 को आदेश पारित कर न्यायालय हाजा को प्रार्थी के धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण को आदेश दिनांक 06.06.2023 की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की दिनांक से एक माह में निर्णित करने का आदेश दिया गया है। प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि उक्त वाहन वर्तमान में पुलिस थाना कुचेरा की सपुर्दगी में ही है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 03.09.2021 को श्री पार्थ सारथी जिला रसद अधिकारी नागौर को पुलिस थाना कुचेरा द्वारा कुचेरा मे बायो डीजल के अवैध भण्डारण की सूचना दी गई। पुलिस थाना कुचेरा की सूचना के आधार पर श्री पार्थ सारथी जिला रसद अधिकारी, नागौर हमराह रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी, देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, रामावतार पूनियां, प्रवर्तन निरीक्षक, शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना कुचेरा पहुंचकर थानाधिकारी पुलिस थाना कुचेरा से तहरीर प्राप्त की। पुलिस थाना कुचेरा की प्राप्त तहरीर के आधार पर किसान सेवा केन्द्र के पीछे, बावरियों का मौहल्ला, नागौर रोड कुचेरा पहुंचे। मौके पर पुलिस जाब्ता कानिस्टेबल श्री घेवरराम बेल्ट नं. 1331 व कानिस्टेबल श्री जितेन्द्र बेल्टनं. 1630 तैनात मिले जिन्होनें डिटेनशुदा सामग्री का मौका निरीक्षण करवाया गया। मौका निरीक्षण करने पर पाया कि लगभग 25X45 फूट का एक बडा हॉल बना हुआ था जिसमें 20 प्लास्टिक के रिक्त ड्रम,119 लोहे के रिक्त ड्रम, 13 लोहे के भरे हुए ड्रम, 03 विद्युत मोटर पम्प जिनमें प्रत्येक के दो सिरो पर 2इंच मोटाई के 50–50 फिट लम्बाई के प्लास्टिक पाईप मय नोजल, 01 मेनुअल पम्प जिसके एक सिरे पर 50 फिट लम्बाई व 1 इंच मोटाई का पाईप, 01 दस लीटर क्षमता का लोहे का मापक व 1 प्लास्टिक का सफेद रंग का कीप पाये गये। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए कुल 13 ड्रमों का डिप रोड से मापन करने पर प्रति ड्रम 200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार भरे हुए 13 ड्रमों मे मापन करने पर कुल 2600 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। इसके पश्चात पुलिस थाना कुचेरा

कलक्टर नागौर

में डिटेनशुदा ऑयल टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड. 5281 का मौका निरीक्षण किया जिसमें पाया कि उक्त ऑयल टैंकर में पांच खण्ड बने हुए है जिनमें प्रत्येक खण्ड की भराव क्षमता 6000 लीटर है। उक्त ऑयल टैंकर के पांचो खण्डों पर कोई सील नही लगी हुई पाई। ऑयल टैंकर पर ही उपलब्ध डिप रोड्स पांच जो पांचो खण्डों के लिए अलग–अलग बने हुए है से वाहन के चालक अप्रार्थी भंवरलाल की उपस्थिति में ऑयल टैंकर के सभी पांच खण्डों मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का मापन करने पर खण्ड–1 में 4000लीटर, खण्ड 2 में 4000 लीटर, खण्ड 3 में 4500 लीटर, खण्ड 4 में 5000 लीटर व खण्ड 5 में 5000लीटर अर्थात ऑयल टैंकर के पांचो खण्डों मे कुल 22500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। इसके पश्चात ट्रैक्टर मैसी फरग्यूसन 1035 डी.आई. वाहन संख्या अंकित नही है से लगे हुए डिटैनसुदा टैंकर का मौका निरीक्षण करने पर उक्त ट्रेक्टर से लगे हुए टैंकर मे पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। ट्रेक्टर से लगे हुए टैंकर मे भरा हुआ पेट्रोलियम पदार्थ लीक होकर रिसने के कारण उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को डिटैनशुदा रिक्त लोहे के 20 ड्रमों मे भरवाकर डिप रोड से मापन करने पर 4000लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। इस प्रकार 13 लोहे के ड्रमों में 2600 लीटर, ऑयल टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड. 5281 में 22500 लीटर एवं ट्रेक्टर से लगे टैंकर मे कुल 4000 लीटर कुल 29100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। ऑयल टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड. 5281 के वाहन चालक अप्रार्थी भंवरलाल से पूछताछ कर उसके लिखित मे बयान दर्ज किये गये। अपने बयानों में अप्रार्थी भंवरलाल ने स्वीकार किया कि उसने दिनांक 31.08.2021 को उक्त टैंकर में मूदड़ा पोर्ट गुजरात से 29000 लीटर बायो डीजल भरवाकर उसके मालिक के निर्देशानुसार कुचेरा नगौर दिनांक 02.09.2021 को रात्रि 10.30 बजे पहुंचा। कुचेरा पहुंचने पर एक व्यक्ति जिसका वह नाम नहीं जानता है से सम्पर्क कर उस व्यक्ति के बताये स्थान पर वाहन को खड़ा कर दिया। कुछ समय पश्चात उस स्थान पर 7–8 मजदूर आये और वहां पर बने हॉल मे काफी मात्रा मे रखे हुए खाली ड्रमों मे बायोडीजल को भरने लगे। इसके पश्चात वह सो गया। कुछ समय पश्चात वहां पर ट्रेक्टर से लगा हुआ खाली टैंकर लाया गया। तथा पुलिस द्वारा उसे जगाया गया। उस समय मौके से वह व्यक्ति व मजदूर गायब थे। वहां पर केवल पुलिस टीम ही उपस्थित थी। मौके पर वाहन चालक अप्रार्थी भंवरलाल जाट से के पास पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विकय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व दस्तावेज मांगे जाने पर इस सम्बन्ध में उसके पास किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया। अप्रार्थी भंवरलाल द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन व विकय से सम्बन्धित किसी प्रकार के अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर डिटैनशुदा सामग्री ऑयल टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड. 5281 मय 22500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, ट्रैक्टर मैसी फरग्यूसन 1035 डी.आई. वाहन संख्या अंकित नही है मय पीछे लगे टैंकर मय 4000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिक के 20 रिक्त ड्रम, लोहे के 13 ड्रम मय 2600 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, लोहे के 119 रिक्त ड्रम, 03 विद्युत मोटर पम्प जिनमें प्रत्येक के दो सिरों पर 2 इंच मोटाई के 50–50 फिट लम्बाई के प्लास्टिक पाइप मय नोजल, 1 मेनुअल पम्प जिसके एक सिरे पर 50 फिट लम्बाई व 1 इंच मोटाई का पाईप लगा हुआ, 01 दस लीटर क्षमता का लोहे का मापक एवं 1 प्लास्टिक का सफेद रंग का कीप को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया गया। जब्तसुदा ऑयल टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड. 5281, ट्रैक्टर 1035 डीआई से लगे टैंकर व 13 लोहे के ड्रमों से समान मात्रा में एल्युमिनियम की एक स्वच्छ बाल्टी मे पेट्रोलियम पदार्थ भरकर नमूने हेतु प्रयुक्त होने वाले एल्युमिनियम के तीन पात्रों मे प्रत्येक पात्र में 750 एम.एल. पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया। नमूनों हेतु तीनों एल्युमिनियम पात्रों पर आवश्यक सूचनाऐं चस्पा कर आन्तरिक एल्युमिनियम पात्रों व बाहरी वुडन बॉक्स को प्लास्टिक सीलों से सील्ड किया जाकर तीनों नमूनों को कमशः ए.–1, ए.–2, ए.–3 मार्का दिया गया। उपरोक्त जब्तसुदा सामग्री को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु पुलिस थाना कुचेरा की सुपुर्दगी मे दिया जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर लिये गये नमूनों मे से नमूना सं. ए.–1 वास्ते एफएसएल. जांच प्रभारी मालखाना पुलिस थाना कुचेरा की सुपुर्दगी मे दिया गया और प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। नमूना ए–2 व ए–3 कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु साथ लिये गये। बीट प्रभारी कानि. श्री घेवरराम बेल्ट सं. 1331 ने लिखित मे दिया कि जिस हॉल में बायो डीजल/पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण पाया गया वह हाल अप्रार्थी नथमल का है, प्रकरण में अवैध रूप से उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप एवं बिना विधिक अनुज्ञप्ति के

कलक्टर नागौर

परिवहन किया गया वह वाहन जीजे 21 एजेड 5281 का मालिक अप्रार्थी लखुभाई है, प्रकरण में उक्त जब्तशुदा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का मालिक अप्रार्थी श्रीराम एग्रो कुचेरा जरिये प्रोपराईटर बाबूलाल प्रजापत है। प्रकरण में जब्तशुदा ट्रैक्टर मैसी फरग्यूसन 1035 डी.आई. वाहन संख्या अंकित नही होने से उसके मालिक आदि की जानकारी नहीं हो सकी तथा न ही किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त ट्रेक्टर पर मालिकाना दावा प्रस्तुत किया है, परन्तु उक्त ट्रेक्टर में भी अवैध रूप से उपर्युक्तानुसार पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया है।

2(1)–प्रकरण में उक्त जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच के संबंध में Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur की रिपोर्ट कमांक–RFSL(JOD)/5712/CAE/ 113/21 दिनांक 21.03.2022 में वर्णित किया गया है कि– 1-The liquid sample contained in the packet marked **A-1** did not confirm the BIS specification of- (a) Biodiesel (8100 : 15607-2016) in respect of relative density at 15°C and kinematic viscosity at 40°C. (b) Diesel (IS-1460 : 2017) in respect of relative density at 15°C. 2-On the basis of Distillation characteristics the sample contained in the packet marked **A-1** was found to be of petroleum hydrocarbon fraction of boiling point range from 181°C to 352°C. The relative density and flash point of the sample was found to be 0.7765 at 15°C and 58°C (Able) respectively. प्राप्त हुई है। उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रालियम पदार्थ मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है, जो पेट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा 2(ख)(ख) के अनुसार उक्त पेट्रोलियम पदार्थ वर्ग "ख" पेट्रोलियम पदार्थ की श्रेणी में आता है। जिसके विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा दौराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने का कथन करते हुए प्रकरण में जब्तसुदा ऑयल टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड.5281 मय 22500 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ, ट्रैक्टर मैसी फरग्यूसन 1035 डी.आई. वाहन संख्या अंकित नहीं है मय पीछे लगे टैंकर मय 4000 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिक के 20 रिक्त ड्रम, लोहे के 13 ड्रम मय 2600 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ (कुल 29100 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ), लोहे के 119 रिक्त ड्रम, 03विद्युत मोटर पम्प जिनमें प्रत्येक के दो सिरों पर 2 इंच मोटाई के 50–50 फिट लम्बाई के प्लास्टिक पाईप मय नोजल, 1 मेनुअल पम्प जिसके एक सिरे पर 50 फिट लम्बाई व 1 इंच मोटाई का पाईप लगा हुआ, 01 दस लीटर क्षमता का लोहे का मापक एवं 1 प्लास्टिक का सफेद रंग का कीप को राजसात करने का निवेदन किया है

3. वकील श्री विकम जोशी ने अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–3 जब्तशुदा वाहन टैंकर पंजीयन संख्या जीजे 12 एजेड 5281 का पंजीबद्ध स्वामी है। जिसके प्रार्थी ने विधि विरूद्ध तरीके से सीज किया है। कथित वाहन और उसके स्वामी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या–3 को तंग परेशान करने के दुराश्य से इस वाहन के सम्पूर्ण कार्यवाही गलत तथ्यों के आधार पर की गई है।

3(1)–इस आवेदन में वर्णितानुसार किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रार्थी की उपस्थिति और जानकारी में नहीं की गई है। प्रार्थी ने कानून के प्रावधानों के विपरीत जाकर पुलिस से मिलावट कर यह मामला तैयार किया है। अप्रार्थी कथित वाहन के मार्फत अपनी आजीविका चलाता है और उक्त वाहन को ट्रांसपोर्ट कम्पनी के द्वारा माल के परिवहन में काम में लिया जाता है। इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 155/2021 पुलिस थाना कुचेरा में दर्ज करवाई गई हैं, जिसमे प्रार्थी को किसी भी प्रकार से नामजद नही किया गया हैं, जबकि कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने के समय वाहन के स्वामी, वाहन से संबंधित दस्तावेजात सभी प्रार्थी की जानकारी में आ गये थे। कथित वाहन में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा माल वैध बिल, जीएसटी इनवॉइस तथा ट्रांसपोर्ट की बिल्टी के द्वारा परिवहन किया जा रहा था। इस संबंध में श्री नागेश्वर बल्क कैरियर ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रेक्टर एण्ड कमीशन एजेन्ट की बिल्टी वाहन के साथ संलग्न थी।

3(2)–कथित वाहन में ई–वे बिल संख्या 651327008635 पदम श्री ग्लोब ट्रेड के द्वारा कुचेरा में माल को भिजवाये जाने के संबंध में था, जो लाईट पेराफिन पदार्थ था, जिसका एचएसएन कोड 27101990 है। जिसके साथ टैक्स इनवॉइस संख्या 878/पीजीटी/21–22 31.08.2021 का श्रीराम

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

एग्रो के नाम का संबंधित विक्रेता द्वारा जारी किया गया था। इस प्रकार कथित वाहन पंजीयन संख्या जीजे 12 एजेड 8221 में किसी भी प्रकार से कोई अवैध परिवहन नही किया जा रहा था।

3(3)—कथित वाहन से संबंधित दस्तावेजात यथा पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ऑथोराईजेशन सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय परमिट, टैक्स रसीद, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, परिवहन की जाने वाली सामग्री की बिल्टी, अडाणी पोर्टस एण्ड स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड द्वारा जारी एक्जिस्ट पास, ई–वे बिल, टैक्स इनवॉइस आदि दस्तावेजात प्रार्थी की जानकारी में है। जिससे यह प्रमाणित है कि वाहन में परिवहन किये जाने वाले माल का न तो अप्रार्थी संख्या–3 मालिक हैं, न विक्रेता हैं, न क्रेता है। अप्रार्थी संख्या–3 कथित वाहन में परिवहन के लिए पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत दिनांक 23.10.2022 तक वैध अनुज्ञप्ति जारी की गई हैं, ऐसी स्थिति में कथित वाहन द्वारा परिवहन किया जा रहा कार्य कोई भी अवैध व विधि विरूद्ध नही है।

3(4)—वाहन में परिवहन किया जा रहा कथित माल विधि अनुसार ट्रांसपोर्ट कम्पनी के द्वारा बुक किया गया, जिसे विक्रेता द्वारा क्रेता को पहुंचाया जा रहा था और परिवहन के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेजात अनुज्ञप्तियां कथित वाहन पंजीयन संख्या जीजे 12 एजेड 5281 के संबंध में उपलब्ध थी, इस प्रकार किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य वाहन स्वामी द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से नहीं किया गया है।

3(5)—मूल रूप से वर्तमान मामला अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध ही प्रस्तुत किया गया था, जबकि प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही वाहन स्वामी के संबंध में जानकारी रहती चली आई थी, लेकिन उनको यह पता था कि हस्तगत वाहन में किसी भी प्रकार के पदार्थ को परिवहन करने के लिए वैध और प्रभावी दस्तावेजात अस्तित्व में रहते चले आये हैं, इसके बावजूद भी उन्होने अप्रार्थी संख्या–3 को तंग व परेशान करने के दुराशय से उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य किये जाने का कथन नही होने के बावजूद भी उसे पक्षकार बनाया हैं, जिससे अप्रार्थी संख्या–3 के विरूद्ध वर्तमान कार्यवाही चलने योग्य नही होने का कथन करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने और गलत रूप से अप्रार्थी संख्या–3 के विरूद्ध की गई कार्यवाही के कारण प्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाकर प्रार्थी को हर्जा खर्चा दिलवाये जाने का निवेदन किया है।

3(5)—वकील श्री विक्रम जोशी ने अप्रार्थी संख्या–2 नथमल की ओर से बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक ने अप्रार्थी संख्या–2 के विरूद्ध झूठा एवं गलत मामला प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिस स्थान पर पुलिस की उपस्थिति में कार्यवाही की जाना बताया जा रहा है वह परिसर दिनांक 8.08.2021 को ही बाबूलाल प्रजापत पुत्र गुमानराम जाति कुम्हार निवासी कुचेरा को किराये पर दिया गया था, जिसकी किराया चिट्ठी भी बाबूलाल ने अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में लिखी है, जो नोटरी से अटेस्टेड है, जिसकी प्रतिलिपि जबाब के साथ प्रस्तुत की हुई है। वक्त घटना परिसर पर बाबूलाल प्रजापत किराया काबिज था और जो भी कारोबार हो रहा था वह बाबूलाल द्वारा ही किया जा रहा था, का कथन करते हुए वकील श्री विक्रम जोशी ने अप्रार्थी संख्या–2 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया है।

4. वकील श्री रामनरेश ब्रीफ होल्डर (वास्ते वकील श्री गोविन्द कडवा) ने अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से बहस में कथन किया कि प्रकरण हाजा में जब्तशुदा ऑयल का अप्रार्थी संख्या–4 स्वामी है, जो अप्रार्थी संख्या–4 फर्म द्वारा पदम श्री ग्लोबल ट्रेड गांधीधाम गुजरात से जरिये बिल खरीद किया है, का कथन करते हुए अप्रार्थी संख्या–4 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करते हुए प्रकरण में जब्तशुदा ऑयल अप्रार्थी संख्या–4 को दिलवाने का निवेदन किया है।

5. श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक(अभियोजन) ने रिबटल में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–3 प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टेंकर का मालिक होने तथा अप्रार्थी संख्या–4 प्रकरण में जब्तशुदा उक्त मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ का मालिक होने एवं प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से इनको विधिवत अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी–3 द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ को लाईट पेराफिन पदार्थ होना होना बताया है, जबकि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन से जब्त किये गये पेट्रोलियम पदार्थ का मौके पर विधिवत नमूना लिया जाकर नमूना जॉच हेतु विधि विज्ञान

कलक्टर नागौर

प्रयोगशाला को भिजवाया गया था। विधि विज्ञान प्रयोग शाला की रिपोर्ट अनुसार उक्त पेट्रोलियम पदार्थ मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है, जो पेट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा 2(ख)(ख) के अनुसार उक्त पेट्रोलियम पदार्थ वर्ग "ख" पेट्रोलियम पदार्थ की श्रेणी में आता है और ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन, विक्रय आदि के लिए विधिनुसार वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है, जो अप्रार्थीगण द्वारा दौराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है, जो धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या–1 बावजूद तामील/सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ है, इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए पर अप्रार्थी संख्या–1 की मौन स्वीकृति होने का कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। पुलिस थाना कुचेरा की सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी, नागौर, रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी, देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, रामावतार पूनियां, प्रवर्तन निरीक्षक, शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना कुचेरा पहुंचकर पुलिस थाना कुचेरा की प्राप्त तहरीर के आधार पर किसान सेवा केन्द्र के पीछे, बावरियों का मौहल्ला, नागौर रोड कुचेरा पहुंचे। मौके पर पुलिस द्वारा डिटेनशुदा सामग्री का मौका निरीक्षण करवाया गया। मौका निरीक्षण करने पर पाया कि लगभग 25X45 फूट का एक बड़ा हॉल बना हुआ था जिसमें 20 प्लास्टिक के रिक्त ड्रम,119 लोहे के रिक्त ड्रम, 13 लोहे के भरे हुए ड्रम, 03 विद्युत मोटर पम्प जिनमें प्रत्येक के दो सिरो पर 2इंच मोटाई के 50–50 फिट लम्बाई के प्लास्टिक पाईप मय नोजल, 01 मेनुअल पम्प जिसके एक सिरे पर 50 फिट लम्बाई व 1 इंच मोटाई का पाईप, 01 दस लीटर क्षमता का लोहे का मापक व 1 प्लास्टिक का सफेद रंग का कीप पाये गये। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए कुल 13 ड्रमों मे मापन करने पर कुल 2600 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। पुलिस थाना कुचेरा में डिटेनशुदा ऑयल टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड. 5281 का मौका निरीक्षण में उक्त ऑयल टैंकर में पांच खण्ड बने हुए है जिनमें प्रत्येक खण्ड की भराव क्षमता 6000 लीटर है। उक्त ऑयल टैंकर के पांचो खण्डों पर कोई सील नही लगी हुई पाई। उक्त ऑयल टैंकर वाहन के चालक अप्रार्थी भंवरलाल की उपस्थिति में ऑयल टैंकर के सभी पांच खण्डों मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का मापन करने पर खण्ड–1 में 4000लीटर, खण्ड 2 में 4000 लीटर, खण्ड 3 में 4500 लीटर, खण्ड 4 में 5000 लीटर व खण्ड 5 में 5000लीटर अर्थात ऑयल टैंकर के पांचो खण्डों मे कुल 22500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। इसके पश्चात ट्रैक्टर मैसी फरग्यूसन 1035 डी.आई. वाहन संख्या अंकित नही है से लगे हुए डिटैनसुदा टैंकर का मौका निरीक्षण करने पर उक्त ट्रेक्टर से लगे हुए टैंकर मे पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। ट्रेक्टर से लगे हुए टैंकर मे भरा हुआ पेट्रोलियम पदार्थ लीक होकर रिसने के कारण उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को डिटैनशुदा रिक्त लोहे के 20 ड्रमों मे भरवाकर डिप रोड से मापन करने पर 4000लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। ऑयल टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड. 5281 के वाहन चालक अप्रार्थी भंवरलाल से पूछताछ कर उसके लिखित मे बयान दर्ज किये गये। अपने बयानों में अप्रार्थी भंवरलाल ने स्वीकार किया कि उसने दिनांक 31.08.2021 को उक्त टैंकर में मूदड़ा पोर्ट गुजरात से 29000 लीटर बायो डीजल भरवाकर उसके मालिक के निर्देशानुसार कुचेरा नगौर दिनांक 02.09.2021 को रात्रि 10.30 बजे पहुंचा। कुचेरा पहुंचने पर एक व्यक्ति जिसका वह नाम नही जानता है से सम्पर्क कर उस व्यक्ति के बताये स्थान पर वाहन को खड़ा कर दिया। कुछ समय पश्चात उस स्थान पर 7–8 मजदूर आये और वहां पर बने हॉल मे काफी मात्रा मे रखे हुए खाली ड्रमों मे बायोडीजल को भरने लगे। इसके पश्चात वह सो गया। कुछ समय पश्चात वहां पर ट्रेक्टर से लगा हुआ खाली टैंकर लाया गया। तथा पुलिस द्वारा उसे जगाया गया। उस समय मौके से वह व्यक्ति व मजदूर गायब थे। वहां पर केवल पुलिस टीम ही उपस्थित थी। मौके पर वाहन चालक अप्रार्थी भंवरलाल जाट से के पास पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व दस्तावेज मांगे जाने पर इस सम्बन्ध में उसके पास किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया। अप्रार्थी भंवरलाल द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर डिटैनशुदा सामग्री ऑयल टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड. 5281 मय 22500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ,

कलक्टर नागौर

ट्रैक्टर मैसी फरग्यूसन 1035 डी.आई. वाहन संख्या अंकित नही है मय पीछे लगे टैंकर मय 4000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिक के 20 रिक्त ड्रम, लोहे के 13 ड्रम मय 2600 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, लोहे के 119 रिक्त ड्रम, 03 विद्युत मोटर पम्प जिनमें प्रत्येक के दो सिरों पर 2 इंच मोटाई के 50–50 फिट लम्बाई के प्लास्टिक पाईप मय नोजल, 1 मेनुअल पम्प जिसके एक सिरे पर 50 फिट लम्बाई व 1 इंच मोटाई का पाईप लगा हुआ, 01 दस लीटर क्षमता का लोहे का मापक एवं 1 प्लास्टिक का सफेद रंग का कीप को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया एवं जब्तसुदा ऑयल टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड. 5281, ट्रैक्टर 1035 डीआई से लगे टैंकर व 13 लोहे के ड्रमों से समान मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ के विधिवत तीन नमूने लिये गये। उपरोक्त जब्तसुदा सामग्री को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु पुलिस थाना कुचेरा की सुपुर्दगी मे दिये गये। मौके पर लिये गये नमूनों मे से नमूना सं. ए.–1 वास्ते एफएसएल. जांच प्रभारी मालखाना पुलिस थाना कुचेरा की सुपुर्दगी मे दिया गया और प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। नमूना ए–2 व ए–3 कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु साथ लिये गये। बीट प्रभारी कानि. श्री घेवरराम बेल्ट सं. 1381 ने लिखित मे दिया कि जिस हॉल में बायो डीजल/पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण पाया गया वह हाल अप्रार्थी नथमल का है, प्रकरण में अवैध रूप से उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप एवं बिना विधिक अनुज्ञप्ति के परिवहन किया गया वह वाहन जीजे 21 एजेड 5281 का मालिक अप्रार्थी लखुभाई है, प्रकरण में उक्त जब्तशुदा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का मालिक अप्रार्थी श्रीराम एग्रो कुचेरा जरिये प्रोपराईटर बाबुलाल प्रजापत है। प्रकरण में जब्तशुदा ट्रैक्टर मैसी फरग्यूसन 1035 डी.आई. वाहन संख्या अंकित नही होने से उसके मालिक आदि की जानकारी नहीं हो सकी तथा न ही किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त ट्रेक्टर पर मालिकाना दावा प्रस्तुत किया है, परन्तु उक्त ट्रेक्टर में भी अवैध रूप से उपर्युक्तानुसार पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया है। उक्त संबंध में रसद विभाग द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही मौके पर की गई, जिसके संबंध में फर्द मौका रिपोर्ट, फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा, फर्द नमूना रिपोर्ट दिनांक 03.09.2021 को तैयार की गई, जिन पर अप्रार्थी भंवरलाल के भी हस्ताक्षर है।

6(1)–प्रकरण में उक्त जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच के संबंध में Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur की रिपोर्ट कमांक–RFSL(JOD)/5712/CAE/ 113/21 दिनांक 21.03.2022 में वर्णित किया गया है कि– 1-The liquid sample contained in the packet marked **A-1** did not confirm the BIS specification of- (a) Biodiesel (8100 : 15607-2016) in respect of relative density at 15°C and kinematic viscosity at 40°C. (b) Diesel (IS-1460 : 2017) in respect of relative density at 15°C. 2-On the basis of Distillation characteristics the sample contained in the packet marked **A-1** was found to be of petroleum hydrocarbon fraction of boiling point range from 181°C to 352°C. The relative density and flash point of the sample was found to be 0.7765 at 15°C and 58°C (Able) respectively. प्राप्त हुई है। उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रालियम पदार्थ मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है, जो पेट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा 2(ख)(ख) के अनुसार उक्त पेट्रोलियम पदार्थ वर्ग "ख" पेट्रोलियम पदार्थ की श्रेणी में आता है, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा दौराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है। अप्रार्थी संख्या–3 प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टेंकर का मालिक होने तथा अप्रार्थी संख्या–4 प्रकरण में जब्तशुदा उक्त मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ का मालिक होने एवं प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से इनको विधिवत अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ को लाईट पेराफिन पदार्थ होना बताया है एवं अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से दौराने बहस उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को ऑयल होना बताया है, जबकि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन, ट्रेक्टर टेंकर एवं ड्रमों से जब्त किये गये पेट्रोलियम पदार्थ का मौके पर विधिवत नमूना लिया जाकर नमूना जॉच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भिजवाया गया था। विधि विज्ञान प्रयोग शाला की उपर्युक्तानुसार रिपोर्ट अनुसार उक्त पेट्रोलियम, वर्ग "ख" पेट्रोलियम पदार्थ की श्रेणी में आता है इसलिए प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ लाईट पेराफिन पदार्थ अथवा ऑयल होने का वकील अप्रार्थी संख्या–3 व 4 का कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा प्रतिरक्षण में दस्तावेजों की प्रतियां अवश्य प्रस्तुत की गई है, परन्तु मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन, विक्रय आदि के लिए विधिनुसार जारी कोई वैध अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है,

कलेक्टर नागौर

जबकि मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन, विक्रय आदि के लिए विधिनुसार जारी वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या–4 द्वारा प्रकरण स्वंय के प्रतिरक्षण में कोई दस्तावेज एवं जबाब प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का कृत्य धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात किये जाने योग्य होने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा ऑयल टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए. जेड.5281 मय 22500 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ, ट्रैक्टर मैसी फरग्यूसन 1035 डी.आई. वाहन संख्या अंकित नहीं है मय पीछे लगे टैंकर मय 4000 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिक के 20 रिक्त ड्रम, लोहे के 13 ड्रम मय 2600 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ (कुल 29100 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ), लोहे के 119 रिक्त ड्रम, 03विद्युत मोटर पम्प जिनमें प्रत्येक के दो सिरों पर 2 इंच मोटाई के 50–50 फिट लम्बाई के प्लास्टिक पाईप मय नोजल, 1 मेनुअल पम्प जिसके एक सिरे पर 50 फिट लम्बाई व 1 इंच मोटाई का पाईप लगा हुआ, 01 दस लीटर क्षमता का लोहे का मापक एवं 1 प्लास्टिक का सफेद रंग का कीप को समपहरण (Confiscate) किया जाता है। प्रकरण में उक्त जब्तशुदा ट्रैक्टर मैसी फरग्यूसन 1035 डी.आई. वाहन संख्या अंकित नहीं है मय पीछे लगे टैंकर, 29100 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिक के 20 रिक्त ड्रम, लोहे के 13 ड्रम, लोहे के 119 रिक्त ड्रम, 03 विद्युत मोटर पम्प जिनमें प्रत्येक के दो सिरों पर 2 इंच मोटाई के 50–50 फिट लम्बाई के प्लास्टिक पाईप मय नोजल, 1 मेनुअल पम्प जिसके एक सिरे पर 50 फिट लम्बाई व 1 इंच मोटाई का पाईप लगा हुआ, 01 दस लीटर क्षमता का लोहे का मापक एवं 1 प्लास्टिक का सफेद रंग का कीप का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किया जावे एवं कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। श्री विक्रम जोशी द्वारा अप्रार्थी श्री लखुभाई की ओर से प्रस्तुत आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड ब्रांच गांधीधाम (गुजरात) द्वारा जारी 5,00,000/–रूपये(अक्षरे पांच लाख रूपये) का मूल GUARANTEE AGREEMENT BG Number :0259NDDG00003223 Issuance Date : 17/06/2022 S.No.624614 & S.No.624615 को मुक्त किया जाता है एवं उक्त मूल GUARANTEE AGREEMENT अप्रार्थी श्री लखुभाई को लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त जब्तसुदा ऑयल टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड.5281 का समपहरण (Confiscate) किये जाने के विकल्प में उक्त टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड.5281 के मालिक अप्रार्थी संख्या–3 लखुभाई पर 4,00,000/–रूपये (अक्षरे चार लाख रूपये) जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। उक्त वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या–3 लखुभाई द्वारा उपर्युक्तानुसार जुर्माना राशि इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर जिला रसद अधिकारी नागौर के यहां नियमानुसार जमा करवा दिये जाने पर उक्त जब्तशुदा टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड.5281, को अप्रार्थी संख्या–3 लखुभाई को सुपुर्द किये जाने का आदेश किया जाता है एवं उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या–3 लखुभाई द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में उक्तानुसार अधिरोपित जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर जिला रसद अधिकारी नागौर प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर वाहन संख्या जी.जे. 12 ए.जेड.5281 को विधिवत खुली नीलामी में नीलाम किया जावे एवं नीलामी से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित की जाती है। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

8. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर